

कार्यालय :- प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ॥

क्रमांक :- 964/12-1, पौड़ी, दिनांक, दिसम्बर 18, 2015.

में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर गढ़वाल।

क्रमांक 2338
फाइल संख्या 28-1
दिनांक 21/12/15

य :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत क्वीसू सुमाडी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुये आमधार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.664 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

म :-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून की पत्र संख्या :- 1479/FPUK/Road/13166/2015 दिनांक 16.11.2015

य,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या- 01 व 02 अतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आपके द्वारा निम्नानुसार धनराशि जमा की जानी है :-

संख्या -01 के अनुपालन में प्रस्तापित स्थल के आस-पास/मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 8,00,000.00 की धनराशि जमा की जानी है।

संख्या-02 के अनुपालन में प्रपत्र भाग-2 के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र ईको क्लास-5 के अन्तर्गत ग हरियाली घनत्व 03 है, के अनुसार रू0 4,36,248.00 की धनराशि जमा की जानी है।

अतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु रू0 2,61,585.00 की धनराशि जमा की जानी है।

इसके अतिरिक्त समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या भी अपलोड कर प्रेषित की जाय।

प्रतिलिपि No-2338/28-1-21/12/15 भवदीय
① सम्पत्ति के इस आशय से कि 3 करोड़ रुपये (लक्ष्मण सिंह रावत)
लीकट प्रमोटर्स किंगडम प्राइवेट लिमिटेड (प्रभागीय वनाधिकारी)
धनराशि की Demand, EDC गेपिंग से सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।
:- करने की हेतु प्रस्तावित दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक ही हेतु प्रेषित।

② विभागीय अजीत को आठवां है
③ स्वतंत्र अ
(लक्ष्मण सिंह रावत)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।

21/12/15